संख्याः22/2017 /504/तीस-1-2017-5(16)/2015

प्रेषक,

प्रकाश बिन्दु,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 11 अगस्त, 2017

विषयः बस स्टेशन जौनपुर के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-30/941/तीस-1-2015-5(16)/2015, दिनांक 06 जुलाई, 2015 द्वारा बस स्टेशन जौनपुर के निर्माण हेतु आगणन लागत रू0 316.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। बस स्टेशन जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र संख्या-19बी/डीए/पू०/17-05जेईटी/वि०/2015-16, दिनांक 09.01.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बस स्टेशन जौनपुर के निर्माण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू० 316.52 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू0 166.52 लाख (रूपये एक करोड़ छियासठ लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-02/2017/62/तीस-1-2017-5(16)/2015, दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा अवमुक्त की गयी थी। आहरण एवं वितरण अधिकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-145ए/2017-113ए/2015, दिनांक 05 जून, 2017 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कार्य की अधिकता एवं उक्त वित्तीय स्वीकृति का आदेश मिसप्लेस हो जाने के कारण देयक कोषागार में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। फलस्वरूप उक्त अवमुक्त धनराशि रू० 166.52 लाख का आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 में नहीं किया जा सका। उपरोक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-291बी/डीए/प०/17, दिनांक 23.05.2017 द्वारा बस स्टेशन जौनपुर के निर्माण हेतु अवशेष रू० 166.52 लाख की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

http://gisaanadesh.up.nic.in

3- प्रकरण में परिवहन आयुक्त कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 05.06.2017 में उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के संदर्भित पत्र दिनांक 23.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त बस स्टेशन जौनपुर के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू० 166.52 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने विषयक पूर्वोक्त शासनादेश संख्या-02/2017/62/तीस-1-2017-5(16)/2015, दिनांक 28 मार्च, 2017 को एतद्वारा निरस्त किये जाने तथा बस स्टेशन जौनपुर के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू० 166.52 लाख की धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त निर्माण कार्य को अनुमोदित लागत में ही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्वि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

4- उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 डिपाजिट आदि खाते में जमा नहीं की जायेगी।

5- भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुए समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण कराया जाय। इसका दायित्व कार्यदायी संस्था एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा, कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त व्यय के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

7- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

8- उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-30/941/तीस-1-2015-5(16)/2015, दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

10- प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

12- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशा०संख्या-ई-9-277/दस/2017 दिनांक 19 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह०

(प्रकाश बिन्दु)

विशेष सचिव।

संख्याः 22/2017/504/(1)/तीस-1-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
12. गाई फाइल।

आज्ञा से,

ह०

(विनोद कुमार)

उप सचिव।

http://grasenadesh.up.nic.in